न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री सत्तार खान, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्या :– एलआर/58/2018/टोंक (2018/00058)

1. रोडूलाल पुत्र रामकिशन
2. राजूलाल पुत्र रामकिशन
3. सांवरिया पुत्र रामकिशन

समस्त जाति धाकड निवासी रतनपुरा,विस्थापित कॉलोनी,तहसील देवली जिला टोंक

अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती तारादेवी पुत्री महीधर पत्नी राधेश्याम जाति ब्राह्मण निवासी टोडारायसिंह हाल मुकाम शास्त्रीनगर,टोंक
2. श्री आत्माराम पुत्र महीधर जाति ब्राह्मण निवासी टोडारायसिंह जिला टोंक
3. तहसीलदार, टोडारायसिंह जिला टोंक

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक दिनांक 09.02.2018 प्रकरण संख्या 15/2014

उपस्थितः–

1. श्री गिरीश शर्मा, वकील अपीलांटस । लगायात 3
2. श्री हेमराज गुप्ता,वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पोडेन्ट 2 व 3 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः–04.03.2020

अपीलांटस ने यह अपील विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, जिला टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 09.02. 2018 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं ।

1- यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि नामान्तरकरण संख्या 87 दिनांक 05.06.1993 महीधर ब्राहम्ण निवासी टोडारायसिंह की खातेदारी की भूमि ग्राम रतवाई तहसील टोडारायसिंह का विरासत का रेस्पोडेन्ट न0 2 के पक्ष में तस्दीक किया गया था जिसको रेस्पोडेन्ट न0

1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 2014 में चुनौती दी ,उक्त अपील को स्वीकार कर प्रकरण को तहसीलदार टोडारायसिंह के यहां रिमाण्ड करने का निर्णय दिया है । चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्षो बाद जाकर अर्थात 21-22 वर्ष बाद जाकर चुनौती दी है, उक्त अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर थी एंव धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में विलम्ब का कोई विश्वसनीय/संतोषजनक कारणों का उल्लेख नहीं किया गया था,अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र को मेरिट पर निर्णय करने से पूर्व विस्तृत रूप से निर्णित नहीं किया, लिमिटेशन के बिन्दु पर कोई निर्णय नहीं दिया । अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त अपील में पूर्व में धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का निर्णय कर मियाद को कन्डोन कर दिया था जिसका आदेश पत्रावली की आदेशिका पर संक्षिप्त में लिखा है जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करने पर उन्होने अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिये थे प्रकरण में धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का निर्णय स्पष्ट एंवम् विस्तृत विवेचन करते हुए विधि कारणों सहित विस्तार से निर्णय करें, इसके बाबजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना नहीं की बल्कि उनकी अनदेखी करते हुए अपनी मनमर्जी का निर्णय पारित कर दिया साथ ही रेस्पोडेन्ट न01 ने वादग्रस्त भूमियों के संबंध में वर्षो पहले ही न्यायालय एसडीओ टोडारायसिंह के समक्ष नियमित घोषणा का दावा प्रस्तुत कर दिया था जो खारिज होने पर राजस्व अपील अधिकारी टोंक के समक्ष रेस्पोडेन्ट न01 द्वारा अपील प्रस्तुत की थी,जिसको भी खारिज कर दिया गया था । समग्र रूप से प्रथम दृष्टया सिद्ध होता है कि नामान्तकरण संख्या 87 दिनांक 05.06.1993 एवम् उसके आधार पर राजस्व रिकार्ड की प्रतिष्टियों की जानकारी रेस्पोडेन्ट न01 को वर्षो पहले हो चुकी थी परन्तु उसको कहीं भी सफलता हासिल नहीं हुई तो गैर कानूनी तरीका अपनाकर एवम् शाट कट रूप से पुनः नामान्तकरण संख्या 87 को पृथक से अपील के माध्यम से चुनौती दे दी जबकि रेगुलर घोषणा का दावा ही एक मात्र उपचार था जिसको वह उपयोग मे ले चुकी थी ऐसी स्थिति में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय कानूनी रूप से गलत है एंव निरस्त किये जाने योग्य है । अपीलांट्स ने रेस्पोडेन्ट न02 से जो कि वादग्रस्त भूमियों का रिकार्डेड खातेदार एंव काबिज काश्तकार था से जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र नकद प्रतिफल राशि अदा करके वर्षो पहले खरीदकर कब्जा व खातेदारी प्राप्त की है,रेस्पोडेन्ट न01 का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा था,उक्त विक्रयपत्र को किसी सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती नही दी है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी गलत फाईडिंग देकर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो किसी प्रकार से न्यायिक निर्णय नहीं है तथा चलने योग्य नहीं हैं । अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जाकर विद्धान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.02.2018 निरस्त किया जावे तथा नामान्तरकरण 87 दिनांक 05.06.1993 यथावत रखा जावे ।

2- अपील Subject to limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्षीय बहस सुनी गई । xx

3- सर्वप्रथम मूल अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निर्णय करना उचित समझते हैं । अतः प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई ।

4- विद्धान अपीलांट्स अभिभाषक ने मूल अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट्स ग्रामीण एंव अनपढ काश्तकार है जिसको कानून की जानकारी नहीं हैं,अपीलाधीन निर्णय के संबंध में अपीलांट्स को समय पर सूचना प्राप्त नहीं हो सकी थी । काफी समय से न्यायालय का कैम्प भी टोंक में नहीं लगा ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया । अपीलांट्स को कुछ दिन पूर्व जानकारी होने तथा अपीलाधीन निणर्य की नकल मिलने व कानूनी सलाह लेकर बिना किसी देरी के यह अपील पेश की अतः अपील में विलम्ब सद्भाविक है अतः विलम्ब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे । xx

5- हमने विद्धान अपीलांट्स अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन एंव बहस पर मनन किया । अपीलांट ने विलम्ब के जो कारण अंकित किये हैं वे उचित एंव सद्भाविक प्रतीत होते हैं । मियाद के बिन्दु पर प्रकरण का अंतिम रूप से विनिश्चय नहीं किया जा सकता हम गुणावगुण के आधार पर अपीलांट को सुना जाकर प्रकरण का विनिश्चिय करना उचित समझते हैं। अतः अपील में हुआ विलम्ब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। xx

6- अपीलांट्स के विद्धान अभिभाषक ने मूल अपील पर बहस प्रारम्भ की तथा अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को ताईद करते हुए कथन किया गया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तारादेवी ने एसडीओ न्यायालय टोडारायसिंह में काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत अपने हक में खातेदारी हेतु दावा पेश किया जो निर्णय दिनांक 15.04.2009 द्वारा खारिज हो गया जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर में की गई । इस अपील को राजस्व अपील प्राधिकारी ने निर्णय दिनांक 23.12.2013 को खारिज कर दिया इस फैसले के विरूद्ध कोई अपील पेश नहीं कर रेस्पोडेन्ट द्वारा नामान्तकरण संख्या 87 दिनांक 05.06.1993 को अतिरिक्त जिला कलक्टर,टोंक में वर्ष 2014 को पेश की गई उसमें उपरोक्त तथ्यों को छिपाया गया । अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक ने अपील को दिनांक 09.02.2018 को स्वीकार करने से अपीलांट्स ने यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है ।

7- अपीलांट्स अभिभाषक ने बहस को समाप्त करते हुए मुख्य तर्क यह दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 24.06.2016 के द्वारा मियाद अधिनियम धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया जिसके विरुद्ध अपीलांट्स ने राजस्व मण्डल अजमेर में रिविजन दिनांक 02.09.2016 को प्रस्तुत की जिसमें राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 22.09.2016 द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक के फैसले दिनांक 24.06.2016 को अपास्त कर मुख्य अपील के साथ

प्रार्थना पत्र को गुणावगुण के आधार पर तय करने के निर्देश दिये इसके बाबजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना नहीं की बल्कि उनकी अनदेखी करते हुए अपनी मनमर्जी का निर्णय पारित कर दिया । जबकि इन्तकाल की कार्यवाही फिस्कल है एंव हक–अधिकारों को वाद के जरिये निर्णित करवाना चाहिए हस्तगत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी एंव राजस्व अपील प्राधिकारी में रेस्पोडेन्ट अपने हक घोषित नहीं करवा पाया । अतः अपीलांट की अपील पूर्णतः स्वीकार की जाकर इन्तकाल संख्या 87 को यथावत रखा जावे अथवा अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण में राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार धारा 5 के प्रार्थना पत्र में दिनांक 22.09.2016 में दिये गये निर्णय के निर्देशों की पालना हेतु एडीएम कोर्ट को रिमाण्ड कराये जाने का निवेदन किया ।

8- अभिभाषक अपीलांटस द्वारा बहस के समर्थन में मेरा ध्यान निम्न न्यायिक दृष्टांत 1-2012(1)RRT Page 101,350,374 की ओर आकर्षित करते हुए अपील अपीलांटस स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

9- रेस्पोडेन्ट अभिभाषक ने बहस का जवाब देते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट न01 खातेदार श्री महीधर की पुत्री होना अविवादित है एंव अधीनस्थ न्यायालय में तारादेवी का दावा तकनीकी आधार पर खारिज हुआ है ना कि इनको हको से इंकार किया गया है इनकी अपील भी उसी आधार पर खारिज हुई । अगर कोई अपील गुणावगुण के आधार पर निर्णित की जाती है तो यह उपधारणा होगी कि मियाद को कन्डोन किया गया है । मियाद के बिन्दु पर अवैधानिकता को आगे नहीं बढाया जाना चाहिए प्रकरण रिमाण्ड ही तो किया है अतः कोई विधिक बिन्दु हो तो तहसीलदार कोर्ट में पेश किया जा सकता है । दृष्टांत के अनुक्रम में कथन दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों को सुनकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया है अधी0न्याय0 के समक्ष विपक्षी द्वारा मियाद पर कोई आपत्ती नहीं की तो यह अवधारणा की जायेगी की न्यायालय द्वारा मियाद को अप्रत्यक्ष रूप से माफ किया गया है । अन्य दृष्टांत अवैधानिक आदेशों को चुनौती देने के लिए कोई समयावधि निर्धारित नहीं है । जब न्यायालय के समक्ष कोई अवैधानिक आदेश प्रस्तुत हो जाता है तो न्यायालय उसे यथावत नहीं रखेगा ऐसे आदेश को निरस्त किया जायेगा । रेस्पो0 तारादेवी द्वारा प्रस्तुत पूर्व राजस्व वाद व अपील तकनिकी आधार पर खारीज की गई है उनमें हक व अधिकारों का निर्धारण नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार है । तारादेवी मूल खातेदार की जायन्दा पुत्री होकर विधिक उत्तराधिकारी है तथा अपना विधिक हक रखती है अतः अपील खारिज फरमायी जावे ।

10- अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस के समर्थन में मेरा ध्यान निम्न न्यायिक दृष्टांत 1-1992 RRD 545,2-2007 RRD 138 3-1994 RBJ 360 4-2007(1) RRT 42 5-2008(1) 1406 की ओर आकर्षित करते हुए अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

11- हमने उभय पक्ष के अभिभाषक की बहस को ध्यानपूर्वक सुना तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख सहित अदालत हाजा की पत्रावली का

गुणावगुण पर अवलोकन किया उक्त प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत कर निर्णय दिनांक 09.02.2018 को निरस्त की मांग करते हुए प्रकरण पर रिमाण्ड की मांग करते हुए दृष्टांत प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया है इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट द्वारा भी विभिन्न दृष्टांत पर ध्यान आकर्षित कर कथन दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों को सुनकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया है एंव तारादेवी मूल खातेदार की जायन्दा पुत्री होकर विधिक उत्तराधिकारी है तथा अपना विधिक हक रखती है जिसके लिए प्रकरण रिमाण्ड करते हुए पुनः नियमानुसार निर्णय पारित किये जाने का निर्देश दिया गया है । समग्र रूप से जो दोनो पक्षो द्वारा रिमाण्ड के अनुतोष की मांग है किन्तु अपीलांट द्वारा प्रकरण को एडीएम कोर्ट को रिमाण्ड करते हुए नामान्तरकरण संख्या 87 दिनांक 5.6.1993 को खारिज किये जाने का प्रश्न है उक्त अपील पत्रावली में विरासत नामांतरकरण सजरा/गवाहान की प्रस्तुति एंव अपीलांट को भूमि के बिक्रय से संबंधित दस्तावेज व इसके भरे गये नामान्तरकरण की जानकारी रस्पोडेन्ट को होने/नहीं होने से संबंधित कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है इस स्थिति में पंजीबद्ध कराये गए विक्रय पत्र प्रारम्भ से ही शून्य होने/नहीं होने का विनिश्चय नहीं किया जा सकता ऐसे में हम विद्धान अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक के निर्णय से पूर्णसहमत है जिसमें उन्होने विधिक वारिसान में विवाद नहीं मानते हुए प्रकरण में रिमाण्ड का आदेश दिया है साथ ही उन्होने प्रकरण में अंतिम निर्णय नहीं देते हुए मृतक महीधर के विधिक वारिसान जांच कर व रेस्पोडेन्ट को युक्तियुक्त सुनवाई के अवसर प्रदान करते हुए पुनः नियमानुसार नामान्तरकरण निर्णय पारित के निर्देश दिये हैं । उक्त प्रकरण में अपीलांट (जो बोनाफाईड क्रेता है) भी अपना पक्ष रख सकता है एंव कोर्ट में अपीलार्थी/रेस्पोडेन्ट के प्रकरण अत्यधिक संख्या में न्यायहित एंव प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार प्रतिक्षा में लम्बित ना रहे एंव समय पर इनका निस्तारण किया जा सके इसको दृष्टिगत रखते हुए विद्धान अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक का निर्णय उचित प्रतीत होता है । जहां तक अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेन्ट के 21-22 वर्ष बाद अपील किये जाने का प्रश्न है यहां विधि कर सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां पक्षकारों के हित निहित हो वहां प्रकरण को तकनीकी आधार पर अपास्त करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिए । अतः विद्धान अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक के निर्णय दिनांक में कोई विधिक त्रृटि नहीं होने के कारण उपरोक्त विचेचन के क्रम में अपील अपीलांट अस्वीकार योग्य तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.02.2018 यथावत रखा जाकर प्रकरण खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

-:क्रियात्मक आदेशः

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 58/2018 (2018/00058) बउनवानी रोडूलाल व अन्य बनाम तारादेवी व अन्य को खारिज किया जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर,टोंक द्वारा प्रकरण संख्या 15/2014 बउनवान तारादेवी बनाम आत्माराम व अन्य में पारित निर्णय

दिनांक 09.02.2018 को यथावत रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो जाता है ।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 04.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.03.30 11:49:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: